International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 5, May - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारः एक विश्लेषण

डॉ. अर्चना चौहान
प्राध्यापिका, राजनीतिशास्त्र
रा.सं.सं., भोपाल परिसर, भोपाल

प्रस्तावना–

प्राचीन युग से वर्तमान युग तक नारी के संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है। कहा जाता रहा है कि हजार वर्षो से पराधीनता में रहने वाली एकमात्र जाति ''नारी'' ही है। इसी कारण स्त्रो को ''अंतिम उपनिवष'' की भी संज्ञा दी जाती रही है।

सृष्टि सृजन और मानवीय सभ्यता के विकास में स्त्री–पुरुष दोनों की समान सृजनात्मक भूमिका रही है। ये दोनों एक–दूसरे के पूरक एवं सहयोगी है। नारी अपन विविधि रूपों में पुरुष को सवंर्धन, प्रोत्साहन और शक्ति प्रदान करती है। माता के रूप में नारी, पुरुष के चरित्र की संरोपण भूमि है और पत्नी के बतौर वह पुरुष उत्कर्ष का प्रसार–स्तंभ है। धन वैभव, शक्ति और ज्ञान प्राप्ति के लिए नारी के विविध स्वरूपों की आराधना की जाती है। विभिन्न अनुष्ठानों एवं उत्सवों के रचनात्मक स्वरूप के माध्यम से समाज व संस्कृति को दैविक वैधता प्रदान की गई है। नारी को मानवीय गुणों से सरावोर एवं मूल्यवाहक के रूप में भी स्थापित किया गया। भिन्न–भिन्न देष काल एवं परिस्थितियों में महिलाओं की स्थिति, योगदान एवं स्वरूप को लेकर मतांतर रहे है। साहित्य एवं ज्ञान लोक ने नारी को गृह कार्य एवं काम प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो काव्यकारों ने सौन्दर्य बोधक स्वरूप में। धार्मिक ग्रंथों व पुराणों में महिला को मोक्ष प्राप्ति में बाधक माना गया।

भारत में नारी की स्तुति प्राचीन काल से की जाती रही है ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' के रूप में। यहाँ तक कि असुरों पर विजय प्राप्त करने हेतु भी देवताओं को नारी की शरण में जाना पड़ा था, और देवी दुर्गा ने ही असुरों का संहार किया था। विद्या की देवी महा सरस्वती, धन की देवी महालक्ष्मी और दुष्टों का नाष करने वाली महाकाली की आराधना की जाती है। आधुनिक काल में भारत की आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने पर्दा–प्रथा का त्याग कर देष को स्वतंत्रता दिलाने हेतु बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया था। प्राचीन युग में नारी को उच्च आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। किसी भी देष की तरक्की तब तक संभव नहीं मानी जा सकती, जब तक कि उस देष की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग न दें।

शोध लेखन की आवश्यकता–

समाज में महिलाओं की अत्याचारी व असमान स्थिति के कारण यह शाधपत्र लिखने का प्रयास किया। महिलाओं के उत्थान एवं संरक्षण के लिये पर्याप्त कानून एवं अधिनियम है, किन्तु लोगो को विषेषकर महिलाओं को कानूनों एवं अधिकारों का पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है, अतः ऐसे

कानूनों का पर्याप्त प्रचार–प्रसार होना चाहिए। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिये उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी होना चाहिए। समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के उपायों तथा उनके संवैधानिक अधिकरों को उन तक पहुंचाना आवष्यक है।

वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए महिलाओं को अपने जीवन, सुरक्षा, प्रगति, से संबंधित उपबंधों, अधिनियम की जानकारी होनी चाहिये।

शोधलेख उद्देश्य–

1. समाज में महिलाओं की असमानता के व्यवहार को स्पष्ट करते हुए उनके लिये किये गये प्रयास जिससे वे समानता को प्राप्त कर सकें।
2. महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने के लिये।
3. महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी प्रदान करना।
4. उनके विधिक उपबंध व अधिनियमों का ज्ञान उपलब्ध कराना।
5. महिलाओं के उत्थान के लिये चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना।

शोधलेख विश्लेषण–

आज हमारे देष को एक विकासषील देष का दर्जा दिया जा रहा है। पूरे विष्व में भारत का नाम सभ्यता व संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। देष भर में नारी उत्थान की बात एक चर्चा का विषय बनो हुई है, परंतु इस देष की भावो पीढो जिस के गर्भ से जन्म लेती है, उसी स्त्री को सही मायनो में उसके सांविधानिक आधिकारों की जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है। भारतीय महिलाओं की स्थिति प्रारंभ से ही उतार–चढ़ाव के दौर से गुजरती रही हैं यही कारण है कि महिला विकास यात्रा संक्रमण से गुजर रही है जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तत्वों का समन्वय है।

आर्यकाल में और उसके बाद नारी की स्थिति में पतन क्रम आरंभ हुआ पुरुष ने अपने शास्त्रों में स्त्री को हीन प्राणी के रूप में अंकित करना शुरु कर दिया प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई, हालांकि आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रषासनिक पदों पर पदस्थ रही हैं।

सामाजिक संरचना व्यवस्था परंपराएं रुढ़ियां एवं रीति–रिवाज ये मानवकृत होकर भी मानव विभेदक हैं। इन्होंने समाजीकरण व संस्कारगत व्यवहार व मूल्यों के आधार पर स्त्री–पुरुष के मध्य विभेदीकरण की एक लकीर रवींच दी था। नारी निर्माण की इस प्रक्रिया से समाज में महिलाओं की स्थिति असमानता, शोषण व उत्पीड़न के अनुभवों से जुड़ती चली गई। उसे समाज में द्वितीय दर्जा दे दिया गया। वर्तमान शताब्दी में विष्व में अपराधों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है क्यों कि समाज और अपराध एक दूसरे के पूरक हैं। अपराध समाज में होते हैं और उनका उपचार भो समाज में समाहित होता है। आदिम युग में मानवीय आवष्यकताएं न्यून थी, किन्तु वर्तमान में

मनुष्य की नित नई बढ़ती आवष्यकताओं के कारण भी अपराध ज्यादा होने लगे हैं। प्रारंभ में अपराध केवल चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार इत्यादि की घटनाओं तक ही सीमित थे, किन्तु वर्तमान में इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक बढ़ गई है, जिसे साइबर अपराध भी कहा जाता है।

द्वितीय विष्वयुद्ध के उपरांत विष्व में स्त्री अधिकारों व प्रस्थिति बावत् विचार मंथन होने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय परिदृष्य पर नजर डालें तो सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में स्त्री–पुरुष समानता का प्रावधान किया गया। स्त्रियों के विरुद्ध भेदभाव दमन को समाप्त करने और मानवीय अधिकार देने की चर्चा की गई।

वर्तमान समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने हेतु संविधान में कई प्रकार के नियम व कानूनों की संरचना की गई है। इन कानूनों में महिलाओं की संवेदनषीनलता एवं पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने और इस संबंध में पुरुषों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु संक्षिप्त अवधि वाले कार्यक्रम बनाए गए हैं। इन कार्यक्रमों को परामर्ष करके रणनीति तैयार कराने जैसे कार्यक्रम अपनाए गए, जिसमें महिलाओं की स्थिति को सुधारने वाली विधियों को अनुच्छेद 44 की आत्मा के अनुसार अर्थात् राजनैतिक निदेषक तत्व को लागू करने के लिए सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार संबंधी विधियों को लागू करने की दीर्घकालीन–नीति बनाई जा सके।

यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देते है किन्तु आंकड़ो से स्पष्ट है कि ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। यदि हमारे देष में घटित होने वाले महिलाओं के प्रति अपराधों का विष्लेषण करे तो स्पष्ट होता है कि प्रति 6 मिनट पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, सार्वजनिक अपमान, हत्या का प्रयास, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अष्लीलता जैसी घटनाएं घटती है। ऐसे अपराधों को रोकने कठोर से कठोरतम् कानून निर्मित किए जा रहे हैं, किन्तु जब तक पुरुषों तथा समाज की मानसिकता में सुधार नहीं आएगा, ऐसे कानूनों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा क्योंकि समस्याओं का जन्म समाज से ही होता है और उनका उन्मूलन भी कानून के उचित क्रियान्वयन के साथ–साथ समाज द्वारा ही हो सकता है। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किये गये है। इसके साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वयन एवं महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापाना भी की गई।

भारतीय संविधान भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देष सदियों की दासता व उतार–चढ़ाव के पश्चात् नए गणराज्य के रूप में उभरकर आया। मूल अधिकरों का उद्‌गम स्वतंत्रता का संघर्ष है। मूल अधिकार ऐसे आधारभूत अधिकार होते है, जो मनुष्य का चहुंमुखी विकास करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को कई सांविधानिक अधिकार प्रदान किए गए है।

1. महिलाओं के लिए संवैधानिक उपबंध–

भारतोय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।

समानता का तात्पर्य यहां पर यह है कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तथा यह अधिकार स्त्री ओर पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त है।

- अनुच्छेद 15 के अनुसार ''राज्य केवल धर्म, मूल, वंष जाति, लिंग, जन्म स्थान क आधार पर नागरिको के बीच कोई विभेद नहीं करेगा'' भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किये गये है, इतना ही नहीं इसी अनुच्छेद के खंड 3 में स्त्रियों के लिए विषेष व्यवस्था भी की गई है क्योंकि महिलाओं की स्वाभाविक प्रकृति के कारण उन्हे विषेष संरक्षण की आवष्यकता होती है।
- अनुच्छेद 19 में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, ताकि वह स्वतंत्र रूप से भारत के क्षेत्र में आवागमन निवास एवं व्यवसाय कर सकती है। स्त्री लिंग होने के कारण किसी भी कार्य से उनको वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है, तथा ऐसी स्थिति में कानून की सहायता हो सकेगी।
- अनुच्छेद 23–24 द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के लिए उचित नहीं मानते हुए महिलाओं की खरीदी–बिक्री, वेष्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय माना गया है। इसके लिए सन् 1956 ''सप्रेषन ऑफ इमोरल ट्रेफिकइन वुमन एंड गर्ल्स एक्ट'' भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके।
- आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 39 (क) में स्त्री की जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 39 (द) में समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध है।
- अनुच्छेद 42 के अनुसार महिला को विषेष प्रसूति अवकाष प्रदान करने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 46 इस बात का आह्वान करता है कि राज्य दुर्बल वर्गो के षिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विषेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सब प्रकार के शोषण से सुरक्षा करेगा।
- संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 (क) (ड़) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवषाली परंपरा के महत्व को समझे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो।
- अनुच्छेद 243 (द) (3) में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष वचित से भरे गये स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगें और पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र में आबंटित किये जाएगें।
- अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचन नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 325 द्वारा संविधान निर्माताओं ने यह दर्षाने की कोषिष की है कि भारत में पुरुष और स्त्री को समान मतदान अधिकार दिये गये हैं।

2. विधिक उपबंध–

महिलाओं के प्रति बढते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण के लिए राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किये गये है, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकें एवं सामाजिक भेदभाव से उनकी सुरक्षा हो सकें।

- भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान–महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध व्यवस्था की गई।
- धारा 292 से 294 तहत विषिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों पर रोक लगाई गयी है। इसके अनुसार अगर कोई स्त्रियों की नगी तस्वीरे प्रदर्षित करता है अथवा क्रय विक्रय करता है अथवा खराब प्रदर्षन करता है तो ऐसे व्यक्ति को दा वर्ष तक की सजा एवं 2 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दानों ही सजाओं का प्रावधान है।
- धारा 312 से 318 में गर्भपात कारित करना, अजन्मे षिषुओं को नुकसान पहुंचाने, षिषुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय मे दंड का प्रावधान किया गया है।
- धारा 354 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है अथवा करने के उद्देष्य से आपराधिक बल प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
- धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है ओर उसे कोई व्यक्ति उसके विधि पूर्व संरक्षक की संरक्षकता से बिना सम्मति के या बहला फुसलाकर ले जाता है तो वह व्यक्ति व्यपहरण का दोषी होगा तथा धारा 363 से 366 में दंड़ का प्रावधान किया गया है।
- धारा 372 के तहत अगर किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को किसी वष्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए बेचे जाने पर दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा व जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकेगी।
- धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है एवं धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है।
- धारा 498 (अ) में प्रावधानित किया गया है कि अगर कोई पति अथवा उसका कोई रिष्तेदार विवाहित पत्नी के साथ निर्दयतापूर्वक दुर्व्यवहार करता है अथवा दहेज को लेकर यातना देता है तो न्यायालय उसे 2 साल तक की सजा दे सकता है।
- धारा 509 के तहत अगर कोई व्यक्ति स्त्री की सज्जा का अनादर करने के आषय से कोई शब्द कहता है कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु प्रदर्षित करता है अथवा कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी स्त्री की एकान्तता पर अतिक्रमण होता है। तो ऐसा व्यक्ति एक वर्ष तक की सजा एवं जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।

1. महिलाओं के लिए पारित किये गये विभिन्न अधिनियम–

हमारे देष में विभिन्न समयो में प्रचलित कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को मुक्त कराने हेतु बहुत से अधिनियम पारित किये गये है तथा महिलाओं को सुरक्षा एवं अधिकार देने हेतु भी अधिनियम पारित किये गये हैं जो निम्न है–

1. राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948
2. दि प्लांटेषनस लेबर अधिनियम, 1951
3. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1954
4. विषेष विवाह अधिनियम, 1954
5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
6. हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 (संषोधन, 2005)
7. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956
8. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (संषोधित, 1995)
9. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
10. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971
11. ठेका श्रमिक (रेग्युलेषन एण्ड एबोलिषन) अधिनियम, 1976
12. दि इक्वल रियुनरेषन अधिनियम, 1976
13. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
14. आपराधिक विधि (संषोधन) अधिनियम, 1983
15. कारखाना (संषोधन) अधिनियम, 1986
16. इन्डिकैट रिप्रेसेन्टषन ऑफ वुमेन एक्ट, 1986
17. कमीषन ऑफ सती (प्रिवेन्षन) एक्ट, 1987
18. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005
19. बाल विवाह अधिनियम निषेध, 2006

निष्कष–

भारत जैसे सभ्य और विकासशील राष्ट्र में महिलाओं की अस्मिता की रक्षा उनकी समुचित भागीदारी एवं उचित प्रतिनिधित्व हेतु अनेक नियम व कानून बने है पर इसके बावजूद आज भी उन्हें योग्यता व उनकी जनसंख्या के अनुपात में उपयुक्त स्थान मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत के संविधान की उद्देषिका हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ है जिसका अर्थ है स्त्री पुरुष को समानता का दर्जा दिया जाना है। संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत भी महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई है। अभी इस दिषा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों एवं उनके लिये बनाये गये अधिनियमों के बाद भी महिलाओं की स्थिति शोचनीय है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पर्याप्त अधिनियम है, जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। स्वतंत्रता के

पश्चात् से वर्तमान तक विभिन्न अधिनियम जैसे–हिन्दू विवाह अधिनियम, विषेष विवाह अधिनियम, विवाह–विच्छेद व तलाक अधिनियम वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम, गर्भापात की चिकित्सा द्वारा मान्यता जैसे प्रमुख सुधारों से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा, बहुत सी कमिया है।

भारतवर्ष में इतने मानवाधिकरों के बावजूद महिलाओं की दषा संतोषजनक नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया है–

पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्ष्यमहीते।।

''बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और बुढापे में पुत्रा के अधीन स्त्री होती है। वह स्वतंत्र होने योग्य नहीं है।''

महिलाओं के प्रति शोषण, अत्याचार तथा उत्पीड़न वर्तमान परिपक्ष्य में एक सर्वाभौमिक तथ्य है। आज सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र को कई वर्ष हो गए हैं, फिर भी मानवाधिकारको का उल्लंधन समाज मे प्रतिदिन दिखाई देता है, विषेष तौर पर महिलाओं के प्रति। महिलाओं को सदा से ही सामाजिक, धार्मिक, विधिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सास्कृतिक क्षेत्र में उपेक्षा सहनी पड़ी एवं उन्हें समाज में सदैव दोयम दर्जा ही प्राप्त हुआ। शारीरिक रूप से कमजोर समझी जाने वाली और आर्थिक रूप से पुरुषो पर निर्भर होने के कारण सदियों से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, शोषण और यौन उत्पीड़न होता रहा है और यही कारण है कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वह अपने आपको पहले से भी कही ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं।

परामर्श–

1. महिलाओं के लिये उचित षिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिये।
2. महिलाओं को स्वच्छ और उपयुक्त वातावरण की जरूरत है जिससे वह हर क्षेत्र में निर्णय ले सकें।
3. भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये।
4. महिलाओं को स्कूल व उच्च षिक्षा में उनके लिये संवैधानिक व कानूनी अधिकारों की षिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
5. महिलाओं की स्थिति सुधारने में गैर सरकारी संगठन अधिक प्रभावषाली हो सकते ह। प्रयास किये जाए कि गैर सरकारी संगठन अधिक से अधिक स्थापित हो सके।
6. महिलाओं को जागरूक व सषक्त बनाने के लिये नये–नये कार्यक्रम, प्रेरणादायी कार्यषालाएं आयोजित की जानी चाहिए।
7. महिलाओं को उनके संरक्षण के अधिकारों व कानून की जानकारी उपलब्ध कराने के नये–नये प्रयास किये जाने चाहिए।

8. सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिये ठोस कदम उठाए जाने चाहिये।
9. महिलाओं के विरुद्ध पुरानी सोच को बदले और संवैधानिक और कानून पावधानों में भी कुछ परिवर्तन किये जाने चाहिये।
10. सरकार द्वारा महिला सषक्तीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. शर्मा रमा एवं मिश्रा, के, महिलाओं के मौलिक अधिकार, अर्जुन पब्लिषिंग हाउस, नई दिल्लो।
2. जोशी आर.पी., मानव अधिकार एवं कत्तव्य, नवजोवन पब्लिषिंग हाऊस, अहमदाबाद।
3. श्रीवास्तव सुधारानी, भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कामनवेल्थ पब्लिषर्स, नई दिल्ली।
4. यादव राजाराम, भारतीय दंड संहिता, 1860 पंचम संस्करण 2005, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेषन्स, इलाहाबाद।
5. पाण्डेय, डॉ. जयनारायण, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, दिल्ली।
6. देसाई नीरा और गैत्रयी कृष्णराज वीमेन एण्ड सोसायटी इन इंडिया, अजंत पब्लिकेषंस दिल्ली।
7. महिलाओं से संबंधित विभिन्न समाचार–पत्रों के उल्लेख।
8. सुभाष शर्मा, भारतीय महिलाओं की दषा, आधार प्रकाषन, पंचकूला, हरियाणा।